



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE
CHANGE



एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर / Integrated Regional Office,
Jaipur

ए 218 & बी 216 "अरण्य भवन", झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर - 302004 / A-218& B-216, "ARANYA
BHAWAN", Jhalana Institutional Area, Jaipur-302004
दूरभाष/Tel No: 0141-2713858, 2713786 Email: iro.jaipur-mefcc@gov.in

दिनांक: 27th जनवरी, 2023

सेवा में,
शासन सचिव (वन)
सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन
जयपुर, राजस्थान।

(प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/TRANS/30091/2017)

विषय: Diversion of 1.3407 ha fo forest land for CONSTRUCTION OF 220 KV
S/C SURATGARH - PADAMPUR TRANSMISSION LINE, in Favour of
Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd Hanumangarh, District- Sri
Ganganagar, Rajasthan.

सन्दर्भ: शासन सचिव (वन), राजस्थान का पत्र क्रमांक प.1(152)वन/2022 dated 09.01.2023.
महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र
सरकार की वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रस्ताव के परिक्षणोपरांत यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण जानकारी/ दस्तावेज परिवेश
पोर्टल पर अपलोड नहीं किये गये हैं। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि निम्नलिखित आवश्यक जानकारी
इस कार्यालय को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराये:

1. प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है, राज्य शासन द्वारा केवल दण्डात्मक
शुद्ध वर्तमान मूल्य प्रस्तावित किया गया है, जबकि कार्य पूर्ण दर्शाया गया है। उल्लंघनकर्ता का नाम एवं
पदनाम भाग-II में दिया गया है परन्तु 10 वर्षों में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इस संबंध में राज्य
शासन से अनुरोध है कि उल्लंघन के फलस्वरूप की गयी कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत करें अथवा
कार्यवाही ना किये जाने के कारणों को स्पष्ट करने का कष्ट करें।

उपरोक्त जानकारी को ऑनलाईन पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज सहित अपलोड करायें ताकि अग्रेतर
कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

(श्रवण कुमार वर्मा)
उप महानिरीक्षक /क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: (ई-मेल द्वारा)

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, अरण्य भवन,
झालाना इंस्टिट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान।
2. मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर वनवृत्त, बीकानेर, राजस्थान।
3. उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर वनमण्डल, श्रीगंगानगर, राजस्थान।
4. अधिशाषी अभियंता (टी एण्ड सी), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, हनुमानगढ़,
राजस्थान।
5. आदेश पत्रावली।